अतिमहत्वपूर्ण

सं0-12/2025/501/तीस-4-2025/30-4099(099)/256/2024

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
   आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव,
   स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 10 मई, 2025

विषयः- 'उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2025/496/तीस-4-2025/30-4099(099)/256/2024, दिनांक 07.05.2025 द्वारा 'उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025' (ई-शासनादेश पर उपलब्ध) प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के बिन्दु संख्या-8 में "वित्तीय प्रोत्साहन" शीर्षक के अधीन आपके विभाग द्वारा आवेदक को कतिपय छूट/रियायतें प्राप्त करने की अनुमन्यता का प्राविधान किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त को मूर्त रूप दिए जाने के प्रयोजनार्थ विषयगत नीति में आवेदक को वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता हेतु किये गए प्राविधानानुक्रम में अपेक्षित अधिसूचना/आदेश शीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव

http://sirsonadesh.up.gov.in